न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 12/2019

वादी :— गीतादेवी पत्नी श्री झुमरलाल, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. सुकड़ी पत्नी मदनलाल, जाति मेघवाल निवासी ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. एस.बी.आई. बैक शाखा बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :— वादीया की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री पारस चौहान अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार।
प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांक 12/11/22

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा की सरहद में खसरा नम्बर 845 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय आई हुई है। जिसमें वादीया का 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का स्थित है। इस प्रकार यह भूमि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। उक्त आराजी अविभाजित है एवं माप एवं सीमांकन के आधार पर वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा नही हुआ है। हाल ही में वादग्रस्त भूमि में वादीया अपने हक हिस्से की भूमि पर खड़ाई करने गये तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया को खड़ाई करने से मना कर दिया तथा जमीन का बंटवाड़ा करने से मना कर दिया, इसलिए वादीया की ओर से वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। वादीया के हक हिस्से की भूमि जो वादी की बिना बंटवाड़ा करवाये प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि पर वादीया को उनके हिस्से अनुसार खड़ाई का कार्य आदि करने से मना कर दिया है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हमेशा के लिए

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायहित में रोका जाना जरूरी है। वादी की कृषि भूमि वादग्रस्त आराजी में बंटवाड़ा करवाकर अपने हिस्से अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 01.02. 2019 को प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर वादीया को मौखिक बंटवाड़ा में प्राप्त खेत की खड़ाई करने से मना करने व बंटवाड़े की डिक्री माप सीमांकन करवाने व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एलानिया मना करने पर बमुकाम ग्राम खेजड़ला में पैदा हुआ है। अन्त में निवेदन किया कि वादग्रस्त जमीन ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 845 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादी के 1/2 हिस्से (यानि 5.075 बीघा) व प्रतिवादी संख्या 1 का भी वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित हिस्से माफिक भूमि का माप व सीमांकन के आधार पर जारी कर पृथक से तरमीम की कार्यवाही कर रास्ते को छोड़ते हुए पृथक से लगान कायम किये जाने के निर्देश तहसीलदार बिलाड़ा को जारी फरमावे। वादीया के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि में स्थित वादीया के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में व उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 1 किसी प्रकार कीी कोई दखल, हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न किसी के जरिये करावे व स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का दावा दिनांक 16.03.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 845 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा भूमि मे स्थित वादीया के 1/2 हिस्से की भूमि का उभय पक्षकारान को सूचित किया जाकर तारीख निश्चित कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 845 रकबा 0.7746 हैक्टेयर भूमि वादी गीतादेवी पत्नी झुमरराम के बंट में रखी गयी, तथा खसरा नम्बर 845 रकबा 0.7746 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 1 सुखड़ी पत्नी मदनलाल के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 845 रकबा 0.0931 हैक्टेयर रास्ते हेतु वादी गातीदेवी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 सुखड़ी पत्नी मदनलाल का 1/2 हिस्सा सयुक्त रूप से बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने व नक्शा ट्रेस में बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीया की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12/11/22 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
ब इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी :– गीतादेवी पत्नी श्री झुमरलाल, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सुकड़ी पत्नी मदनलाल, जाति मेघवाल निवासी ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. एस.बी.आई. बैक शाखा बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 12/2019

निर्णय **दिनांक :–** 12/11/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री पारस चौहान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार हाजिर होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 845 रकबा 0.7746 हैक्टेयर भूमि वादी गीतादेवी पत्नी झुमरराम के बंट में रखी गयी, तथा खसरा नम्बर 845 रकबा 0.7746 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 1 सुखड़ी पत्नी मदनलाल के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 845 रकबा 0.0931 हैक्टेयर रास्ते हेतु वादी गातीदेवी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 सुखड़ी पत्नी मदनलाल का 1/2 हिस्सा सयुक्त रूप से बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने व नक्शा ट्रेस में बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम करने का आदेश

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीया की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह –सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12/11/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वक़ील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा